न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –1880 / 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रामलाल पुत्र चन्द्रा मीणा निवासी चितिवास तहसील सावर जिला अजमेर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर
2. श्रीमति मंजू पत्नि परेमश्वर मीणा निवासी ग्राम चितीवास तह.सावर जिला अजमेंर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राज.अधि.

निर्णय

दिनांकः–01.06..2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प चीतीवास में पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता स. 220 खसरा नम्बर 1488 / 602 रकबा 0.96 है. भूमि में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है तथा वर्णित आराजीयात प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का या अप्रार्थी स. 2 का विधिक अधिकार व हक हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी स. 2 आये दिन प्रार्थी की आराजी पर पत्थरगढी नही होने कारण जबरन कब्जा करने व अतिक्रमण का प्रयास कर कब्जा करने की कोशिश करता है। अप्रार्थी स. 1 के आदेश अनुसार दिनांक 13.6.2017 को सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया, तो अप्रार्थी स. 2 व उनके परिवारजन ने मौके परपत्थर गढी नाप चौप करवायी जावे ताकि अप्रार्थी स. 2 व उसके परिवारजन किसी प्रकार का झगडा फिसाद नही करें। प्रार्थी द्वारा पत्थगढी करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प चीतीवास में प्रार्थी / अप्रार्थी स. 2 उपस्थित। तहसीलदार सावर से जवाब सरकार की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जवाब सरकार शामिल पत्रावली किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थनापत्र का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रर्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य होना पाया जाता है।

अतः वादी का वादपत्र वाके ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता स. 220 खसरा नम्बर 1488 / 602 रकबा 0.96 है. पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी कराकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 01.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्पकोर्ट चीतीवास में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी